ए.

मंजू पुरी

वी.

राजीव सिंह हंस्पाल और ओआरएस। (2019 की सिविल अपील संख्या 8455) 14 नवंबर, 2019।

बी.

[अशोक भूषण और नवीन सिन्हा**,** जे**.** जे**.]**

उत्तराधिकार अधिनियम, 1925:एसएस।268, 283, 276 – वसीयत का प्रोबेट-कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रशस्ति पत्र जारी करना-आवश्यकता-तथ्यों पर, वसीयतकर्ता ने अपनी सबसे बड़ी बेटी को अचल संपत्ति विरासत में देने के लिए एक वसीयत निष्पादित की-20 साल बाद प्रोबेट प्राप्त किया और वसीयतकर्ता और उसकी पत्नी की दो बेटियों के अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किए-दो साल बाद, वसीयतकर्ता की छोटी बेटी द्वारा अचल संपत्ति के संबंध में सबसे बड़ी बेटी के खिलाफ विभाजन के लिए मुकदमा-सबसे बड़ी बेटी द्वारा लिखित बयान कि उक्त संपत्ति उसकी मां द्वारा उसे उपहार में दी गई थी-विभाजन मुकदमे को खारिज करना-इसके बाद, सबसे बड़ी बेटी के कानूनी उत्तराधिकारियों ने संपत्ति बेच दी-इसके बाद, वसीयतकर्ता की छोटी बेटी की अपीलकर्ता-बेटी ने प्रोबेट को रद्द करने के लिए आवेदन दायर किया-पुनःविभाजन के मुकदमे में और लिखित बयान में वसीयत या प्रोबेट कार्यवाही के बारे में कोई संदर्भ नहीं था-माता द्वारा अपनी बड़ी बेटी के पक्ष में निष्पादित उपहार के पंजीकृत विलेख के आधार पर अधिकारों का दावा किया गया था, जिससे प्रोबेट कार्यवाही में छोटी बेटी द्वारा दी गई कथित सहमति पर संदेह पैदा होता है-यह अपीलार्थी का मामला है कि उसे प्रोबेट कार्यवाही के बारे में केवल हस्तांतरण विलेख के माध्यम से पता चला था-उच्च न्यायालय का कोई निष्कर्ष नहीं है कि किसी भी समय पहले अपीलार्थी को प्रोबेट कार्यवाही के बारे में जानकारी थी क्योंकि आवेदन दायर करने में कोई अत्यधिक देरी नहीं हुई थी-इसके अलावा, एकल न्यायाधीश ने प्रोबेट कार्यवाही में वसीयतकर्ता की छोटी बेटी को कोई उद्धरण जारी नहीं करने में गलती की और बिना किसी समझौते के।283 और इस तरह के उद्धरण जारी किए बिना दिया गया प्रोबेट

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

829 ए.

830 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 13 एस. सी. आर.

तत्काल मामले के तथ्यों को निरस्त किया जाना है-इस प्रकार, प्रोबेट को रद्द करने के लिए आवेदन की अनुमति दी जाती है और प्रोबेट को रद्द कर दिया जाता है-कलकत्ता में उच्च न्यायालय के नियम (मूल पक्ष), 1914-अध्याय XXXV।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

बी.

पकड़नाः**1.1.**इन तथ्यों को स्वीकार किए बिना, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता था कि निरसन आवेदन दाखिल करने में अत्यधिक देरी हो रही है।न तो प्रत्यर्थी संख्या **1,2** और **3** द्वारा यह इंगित करने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड में लाया गया है कि अपीलार्थी या उसकी माँ को किसी पूर्व तिथि पर प्रोबेट कार्यवाही की जानकारी थी और न ही उच्च न्यायालय ने कोई निष्कर्ष वापस किया है कि अपीलार्थी को प्रोबेट कार्यवाही की जानकारी थी और वह देरी से आवेदन दायर करने की दोषी है।उच्च न्यायालय का ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं होने के कारण कि इससे पहले किसी भी समय अपीलार्थी को प्रोबेट कार्यवाही की जानकारी थी, इस टिप्पणी को कि आवेदन अत्यधिक देरी से दायर किया गया था और खारिज किए जाने के योग्य था, अनुमोदित नहीं किया जा सकता है।**[**पैरा **20] [841-**बी-सी**]**

सी.

डी.

1.2 तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, प्रोबेट को रद्द करने के लिए आवेदन दायर करने में अपीलार्थी पर कोई देरी नहीं की जा सकती है, जब **19.05.2011** पर पी**.** एल**.** ए**.** रिकॉर्ड का निरीक्षण करने के बाद उसने तुरंत जुलाई**, 2011** में ही प्रोबेट को रद्द करने के लिए आवेदन दायर किया था।उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कि अत्यधिक देरी हुई है, टिकाऊ नहीं है।**[**पैरा **21] [841-**डी**]**

ई.

1.3 एस. एस. की वसीयत जिसकी जांच की गई है, अपंजीकृत वसीयत दिनांकित **15.06.1961** है।वसीयत की जांच के लिए निष्पादक द्वारा **27.05.1982** पर आवेदन दायर किया गया था और वसीयत की जांच **04.06.1982** पर की गई थी। पक्षकारों का यह मामला स्वीकार किया जाता है कि एकल न्यायाधीश द्वारा मृतक के किसी भी कानूनी उत्तराधिकारी को कोई प्रशस्ति पत्र जारी नहीं किया गया था।तत्काल मामले में प्रत्यर्थी **Nos.1,2** और **3** द्वारा जवाबी-हलफनामा दायर किया गया है जहां उन्होंने एक विशिष्ट मामला लिया है कि उद्धरण जारी करने की आवश्यकता नहीं थी।प्रोबेट कार्यवाही में बी. के. ने एक प्रोबेट देने के लिए सहमति व्यक्त की **[**पैरा **25] [842-**जी. एच.**; 843-**ए**]**

एफ.

जी.

1.4 उच्च न्यायालय के नियमों के नियम **5** ए में प्रावधान है कि वसीयत के साथ प्रोबेट या प्रशासन के पत्रों के लिए सभी आवेदनों में याचिका में ए के नाम बताए जाएंगे।

एच.

831

मंजू पुरी बनाम राजीव सिंह हंस्पाल ए

परिवार के सदस्य या अन्य रिश्तेदार जिन पर संपत्ति को उनके वर्तमान निवास स्थान के साथ हस्तांतरित किया गया होगा।नियम **9** सही पक्षों को उद्धरण से संबंधित है जिसके लिए उद्धरण जारी करने या प्रशासन के पत्रों के आवेदन की आवश्यकता होती है जब तक कि ऐसे व्यक्तियों ने आवेदन के लिए अपनी सहमति का संकेत नहीं दिया हो।नियम **9** "प्रशासन के पत्रों के लिए एक आवेदन पर" शब्दों के साथ शुरू होता है।यदि नियम बनाने वाले प्राधिकारी नियम **9** को प्रोबेट पर लागू करना चाहते थे, तो उन्हें प्रोबेट या प्रशासन के पत्र दोनों वाक्यांशों का उपयोग करना चाहिए था।जहां भी नियम बनाने वाले प्राधिकरण का इरादा प्रोबेट या प्रशासन के पत्रों दोनों के लिए आवेदनों को संदर्भित करने का है, उसी का उपयोग नियम **4,** नियम **4** ए, नियम **4** बी, नियम **5** ए, नियम **6** की तरह किया गया है, जहां "वसीयत का प्रोबेट" और "प्रशासन के पत्र" दोनों अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया है, जबकि नियम **7** में प्रशासन के अभिव्यक्ति पत्रों का उपयोग किया गया है।नियम **9** प्रशासन के लिए केवल अभिव्यक्ति अक्षरों का उपयोग करता है।नियम **12** एक निश्चित दिन पर कारण दिखाने के लिए उद्धरण में निर्देश से संबंधित है।नियम **12** प्रोबेट या प्रशासन के पत्रों को संदर्भित नहीं करता है और इस प्रकार, दोनों अभिव्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है।प्रशासन और प्रोबेट दोनों के पत्रों के संबंध में नियम **12** की प्रयोज्यता जो फॉर्म **V. [**पैरा **27] [844-B-E]** से स्पष्ट है।

बी.

सी.

डी.

ई.

1.5 प्रत्यर्थीगण ने प्रस्तुत किया कि नियम **9** जो प्रदान करता है कि यदि व्यक्तियों ने अपनी सहमति का संकेत दिया है**,** तो प्रोबेट के मामले में भी कोई उद्धरण जारी करने की आवश्यकता नहीं है।उक्त निवेदन की स्वीकृति नियम **9** में **"**प्रोबेट**"** शब्द को जोड़ने की अनुमति होगी जबकि नियम **9** में केवल **"**प्रशासन के पत्र**"** अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है।उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय के नियमों का नियम **9** केवल प्रशासन के पत्रों के अनुदान के मामले में लागू होता है और प्रोबेट के अनुदान पर लागू नहीं होता है।**[**पैरा **28,29] [844-**एफ**-**एच**]**

एफ.

1.6 एस का पढ़ना।**283** उत्तराधिकार अधिनियम**, 1925** की धारा में यह स्पष्ट किया गया है कि **'**मई**'** शब्द के उपयोग से जिला न्यायाधीश को मृतक की संपत्ति में कोई रुचि रखने का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों को उद्धरण जारी करने का विवेकाधिकार दिया गया है।हालाँकि**,** यह सच है कि उद्धरण जारी करने या न करने का विवेकाधिकार निहित है**,** लेकिन इस तरह के विवेकाधिकार का उपयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उचित सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।**[**पैरा **31,33] [846-**बी**-**सी**; 847-**ए**]**

जी.

एच.

1.7 वसीयत की जांच के लिए आवेदन**,** जिसके **20** साल पहले निष्पादित होने का दावा किया जाता है**,** एकल न्यायाधीश को मामले को आगे बढ़ाने में सावधानी बरतनी चाहिए थी।वसीयत की जांच के लिए आवेदन के साथ**,** जिसे रिकॉर्ड में लाया गया है**,** प्रोबेट के प्रस्तावक ने एक सहमति प्रमाण पत्र के साथ आवेदन को सत्यापित किया है**,** जिसे एसएस की बेटी एसएस**,** जीएच की पत्नी एचके द्वारा संलग्न किया गया था और एसएस की एक अन्य बेटी बीके की कोई आपत्ति नहीं थी। एच**.** के**.** और जी**.** एच**.** दोनों वसीयत के लाभार्थी थे**,** वसीयत पर उनकी कोई आपत्ति नहीं होने का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।बी**.** के**.** द्वारा दी गई अनापत्ति सामग्री थी क्योंकि बी**.** के**.** मृतक की दूसरी बेटी होने के नाते मुक़दमे की संपत्ति से बेदखल की जा रही थी।बी**.** के**.** द्वारा दायर अनापत्ति की फोटोकॉपी को प्रत्युत्तर**-**शपथ पत्र के साथ रिकॉर्ड में लाया गया है**,** जिसके अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता

है कि तीनों अनापत्ति एक ही नोटरी द्वारा नोटरी किए गए थे।यह भी दावा नहीं किया जाता है कि बी. के. की पहचान करने वाले नोटरी को बी. के. द्वारा किसी भी वकालतनामा को निष्पादित करके अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था।**[**पैरा **34] [847-**बी-ई**]**

बी.

सी.

डी.

1.8 वर्ष **1984** में बी. के. द्वारा विभाजन के लिए मुकदमा दायर करने का तथ्य जहां न तो एस. एस. की वसीयत का कोई संदर्भ है और न ही प्रोबेट कार्यवाही का संदर्भ है और आगे बी. के. की बड़ी बहन जी. एच. द्वारा उक्त मुकदमे में दायर लिखित बयान में अपने अधिकार के आधार पर एस. एस. की वसीयत या प्रोबेट कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं है और इसके विपरीत अधिकारों का दावा केवल जी. एच. के पक्ष में एच. के. द्वारा निष्पादित उपहार के पंजीकृत विलेख के आधार पर किया गया था**,** जो प्रोबेट कार्यवाही में बी. के. द्वारा दी गई कथित सहमति पर संदेह पैदा करता है।यदि बी. के. ने वर्ष **1982** में प्रोबेट कार्यवाही में सहमति दी होती**,** तो यह मुकदमे में या जी. एच. द्वारा दायर लिखित बयान में परिलक्षित होना चाहिए था। **1984** में विभाजन का दावा करते हुए मुकदमा दायर करने में बी. के. का आचरण और उक्त कार्यवाही में प्रोबेट का कोई संदर्भ स्पष्ट रूप से इंगित नहीं करता है कि जब मुकदमा दायर किया गया था तो बी. के. को प्रोबेट कार्यवाही के बारे में पता भी नहीं था।जी. एच. द्वारा दायर लिखित बयान में**,** जो वसीयत के साथ**-**साथ प्रोबेट कार्यवाही का लाभार्थी था**,** जिसमें प्रोबेट कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं था**,** जिससे यह न्यायालय आश्चर्यचकित हो जाता है कि लिखित बयान में प्रोबेट कार्यवाही का उल्लेख क्यों नहीं किया गया था।और अगर बी. के. ने कथित रूप से हस्ताक्षर किए हैं तो लिखित बयान में उनका सामना प्रोबेट कार्यवाही से क्यों नहीं किया गया।प्रोबेट कार्यवाही का कोई उल्लेख स्पष्ट रूप से इंगित नहीं करता है कि न तो बीके को ए के बारे में पता था

ई.

एफ.

जी.

एच.

प्रोबेट कार्यवाही और न ही उन्हें ऐसी कार्यवाही का सामना करना पड़ा।उक्त कार्यवाहियों में, जब किसी वसीयत के निष्पादन के **20** वर्षों के बाद उसकी जांच करने की मांग की जाती है, तो उच्च न्यायालय को जांच कार्यवाहियों के साथ अधिक सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए था।**[**पैरा **35] [847-**ई-एच**; 848-**ए-सी**]**

बी.

1.9 तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, एकल न्यायाधीश ने प्रोबेट कार्यवाही में बी**.** एम**.** को कोई उद्धरण जारी नहीं करने और यांत्रिक रूप से प्रोबेट दिए गए अनापत्ति प्रमाण पत्रों की वास्तविकता के किसी भी सत्यापन के बिना गलती की, जो अस्थिर था।यदि यह स्वीकार किया जाता है कि प्रोबेट कार्यवाही में जिन व्यक्तियों को प्रोबेट अदालत द्वारा उपस्थित होने और अपनी कोई आपत्ति नहीं प्रमाणित करने या कोई अभिवचन दायर करने के लिए बुलाए बिना केवल अनापत्ति प्रमाण पत्र पर वसीयत में विरासत से वंचित कर दिया गया है, वे असंतोषजनक परिणाम का कारण बन सकते हैं और उन व्यक्तियों के लिए पूर्वाग्रह पैदा कर सकते हैं जो कार्यवाही से अवगत नहीं थे और जिनके बारे में अभी तक कोई आपत्ति प्रस्तुत करने का दावा नहीं किया गया है।भले ही एकल न्यायाधीश को प्रशस्ति पत्र जारी करने या न करने का विवेकाधिकार था, लेकिन तत्काल मामले के तथ्यों में उत्तराधिकार अधिनियम की धारा **283** के तहत प्रदत्त विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए एक प्रशस्ति पत्र जारी किया जाना चाहिए था और तत्काल मामले के तथ्यों में इस तरह के प्रशस्ति पत्र जारी किए बिना दिए गए प्रोबेट को रद्द किया जाना चाहिए और एकल न्यायाधीश और खंड पीठ ने निरसन के लिए आवेदन को अस्वीकार करने में त्रुटि की।**[**पैरा **36] [848-**डी**.** जी**.] 1.1** यह प्रस्तुत किया गया था कि परिवीक्षा कार्यवाही के साथ-साथ माता द्वारा गैर-अभियोजन के लिए दायर विभाजन के मुकदमे को खारिज करने के संबंध में अपीलार्थी पर प्रतिकूल परिणामों को देखते हुए, यह न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा पारित कार्यवाही/आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णयों में केवल प्रोबेट को निरस्त करने के लिए अपीलार्थी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर विचार किया है। उक्त कार्यवाहियों पर केवल प्रोबेट को निरस्त करने के लिए अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन के संबंध में विचार किया जाना चाहिए।एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और प्रोबेट को रद्द करने के लिए आवेदन की अनुमति दी जाती है और प्रोबेट को रद्द कर दिया जाता है।पी**.** एल**.** ए**.** आवेदन को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष पुनर्जीवित किया जाता है जिस पर कानून के अनुसार विचार किया जा सकता है और निर्णय लिया जा सकता है।**[**पैरा **39,40] [849-**ई**-**एफ**]**

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

834 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 13 एस. सी. आर.

ज्योत्सना राजगढ़िया बनाम दीपक कुमार हिम्मतसिंका (2002) आई. एल. आर. 2 कैल 402; कामोना सुंडुरी दाससी बनाम।

हुर्रो लाल शाह (1882) आई. एल. आर. 8 कैल 570; श्यामा

चरण बैश्य बनाम प्रफुल्ल सुंदरी गुप्ता ए. आई. आर. **1916** कैल **623;** हरिमती देवी और एक अन्य बनाम अनंत नाथ रॉय

चौधरी एयर 1939 कैल 535-संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

बी.

(2002) आई. एल. आर. **2** कैल **402**

संदर्भित किया गया है

पैरा **29**

(1882) आई. एल. आर. **8** कैल **570**

संदर्भित किया गया है

पैरा **31**

ए. आई. आर. **1916** कैल **623**

संदर्भित किया गया है

पैरा **32**

सी.

ए. आई. आर. **1939** कैल **535**

संदर्भित किया गया है

पैरा **35**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2019 की सिविल अपील संख्या 8455।

1982 के पी. एल. ए. सं. 90 सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता, हृषिकेश बरुआ, प्रणव जैन, अक्षय सहगल, कुणाल मिनानी, सैफ शम्स, अधिवक्ताओं के साथ 2016 के ए. पी. ओ. सं. 94 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से। अपीलार्थी के लिए।जयंत भूषण, जिष्णु साहा, वरिष्ठ अधिवक्ता।, डी. एन. मित्रा, सुश्री सुदेशना बागची, सुश्री सोनिया दुबे, सुश्री कंचन यादव, सुश्री सायंतिका मित्रा, मेसर्स विक्टर मोसेस एंड एसोसिएट्स, अंकित श्रॉफ, पंकज जैन, बिजय कुमार जैन, अधिवक्ता। प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

डी.

ई.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, जे।

1. यह अपील कलकत्ता उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के दिनांक 3 के फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 2 के फैसले और आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया गया है, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा एक सुरजन सिंह रंधावा की वसीयत के संबंध में दिनांक 1 के प्रोबेट को रद्द करने के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

एफ.

2. इस अपील पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

जी.

ये हैं:

एक, सुरजन सिंह रंधावा ने अचल संपत्ति खरीदी थी जिसे बाद में उनके भाई बचित्तर सिंह रंधावा के साथ उनकी संबंधित पत्नियों के नाम पर 5/1 ए बेल्वेदेरे रोड, कोलकाता के रूप में गिना गया था। हरनाम कौर रंधावा और श्रीमती. सेलिया मैरी रंधावा।सुरजन सिंह रंधावा की दो बेटियाँ थीं, जिनका नाम श्रीमती।

एच.

835

मंजू पुरी बनाम राजीव सिंह हंस्पाल [अशोक भूषण, जे.] ए.

ए.

ज्ञान हंसपाल और श्रीमती. बीना कुमारी मेहरा।आई. डी. 1 पर, सुरजन सिंह रंधावा ने उपरोक्त अचल संपत्ति को अपनी सबसे बड़ी बेटी, श्रीमती को वसीयत करते हुए एक

वसीयत का निष्पादन किया। ज्ञान हंसपाल।सुरजन सिंह रंधावा की मृत्यु 28.11.1962 पर हुई।पंजीकृत उपहार विलेख दिनांक 25.03.1964 को श्रीमती द्वारा निष्पादित किया गया था। श्रीमती के पक्ष में हरनाम कौर रंधावा। उपरोक्त संपत्ति के संबंध में ज्ञान हंसपाल की संख्या 5/1 सी बेल्वेडियर रोड, कोलकाता 27.05.1982 पर है।स्वर्गीय सुरजन सिंह रंधावा के भाई बचित्तर सिंह रंधावा ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक प्रोबेट याचिका दायर की जिसमें दिनांकित 15.06.1961 के संबंध में प्रोबेट देने की मांग की गई।प्रोबेट याचिका के साथ तीन अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी श्रीमती के प्रमाण पत्र संलग्न किए गए थे। ज्ञान हंसपाल, श्रीमती. हरनाम कौर रंधावा और श्रीमती. बीना कुमारी मेहरा।कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से आवेदन की अनुमति दी और बचित्तर सिंह रंधावा के पक्ष में जांच की अनुमति दी।

बी.

सी.

3. अप्रैल, 1984 में श्रीमती. बीना कुमारी मेहरा ने श्रीमती के खिलाफ मुकदमा दायर किया। ज्ञान हंसपाल 5/1 सी बेल्वेडियर रोड, कोलकाता परिसर सहित संपत्ति के विभाजन के लिए। मुकदमे में हंसपाल को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था।सूट में श्रीमती। बीना कुमारी मेहरा ने दावा किया कि श्रीमती की मृत्यु के बाद। वादी की माँ हरनाम कौर रंधावा अपनी बहन श्रीमती के साथ। ज्ञान हंसपाल संपत्ति में हिस्सेदारी के हकदार बन गए।मुकदमे में श्रीमती द्वारा लिखित बयान दायर किया गया था। ज्ञान हंसपाल ने वादी के दावे का विरोध किया।लिखित बयान में यह अनुरोध किया गया था कि श्रीमती. हरनाम कौर रंधावा ने 5/1 सी बेल्वेडियर रोड, कोलकाता को पंजीकृत उपहार विलेख दिनांक 25.03.1964 द्वारा उपहार में दिया है, दावा किया गया था कि मुकदमे को समय से रोक दिया गया था।श्रीमती. 24.02.1988 पर मुकदमा लंबित रहने के दौरान ज्ञान हंसपाल की मृत्यु हो गई और उनके उत्तराधिकारियों को फंसाया गया।

डी.

ई.

4. 1984 के टी. एस. <आई. डी. 2 होने के मुकदमे में प्रतिस्थापित किए गए डॉ. हरमन सिंह हंसपाल ने दिनांकित 25.03.1964 के पंजीकृत उपहार विलेख के आधार पर दावे को दोहराते हुए एक लिखित बयान दायर किया।यह आगे दलील दी गई कि वादी को कम से कम 29.08.1984 से वसीयत की सूचना और जानकारी थी जब लिखित बयान की प्रति वादी को दी गई थी।श्रीमती. बीना कुमारी मेहरा की मृत्यु 05.05.2008 पर हुई।5. श्रीमती द्वारा दायर किया गया मुकदमा। बीना कुमारी अभियोजन न चलाने के कारण बर्खास्त हो गईं और मुकदमे को बहाल करने का आवेदन भी विफल हो गया।28.06.2010 पर, श्रीमती के पुत्र राजीव सिंह हंसपाल। ज्ञान सिंह और स्वर्गीय डॉ. हरमन सिंह हंसपाल ने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर परिसर, 5/1 सी बेल्वेडियर रोड, कोलकाता को एक रूंगटा माइंस लिमिटेड

के पक्ष में बेच दिया।6. अपीलार्थी को हस्तांतरण विलेख के बारे में पता चला और हस्तांतरण विलेख के माध्यम से प्रोबेट दिनांक 05.06.1982 का पता चला।

एफ.

जी.

एच.

836

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 13 एस सी आर।

अपीलार्थी, श्रीमती की बेटी। बीना कुमारी मेहरा ने 2011 का जी. ए. No.2441 आवेदन दायर किया, जिसमें प्रत्यर्थीगण 05.06.1982,2 और 3 को ज्ञान हंसपाल, प्रत्यर्थीगण संख्या 4, परिवहन विलेख और प्रत्यर्थीगण Nos.5 द्वारा विवादग्रस्त परिसर के खरीदारों के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में दिए गए प्रोबेट को रद्द करने के लिए कहा गया था।अपीलार्थी के भाइयों को प्रोफार्मा प्रत्यर्थीगणओं के रूप में शामिल किया गया था।आवेदन में अपीलार्थी का मामला यह था कि हस्तांतरण के बारे में जानने के बाद उसने प्रोबेट आवेदन, 1982 के पी. एल. ए. 19.05.2011 पर पी. एल. ए. No.90 के अभिलेखों का निरीक्षण किया और पता चला कि अपीलार्थी की मां स्वर्गीय श्रीमती के अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर। बीना कुमारी मेहरा को प्रोबेट दिया गया।अपीलार्थी का मामला यह था कि अपीलार्थी की माँ, जो मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी थे, सुरजन सिंह रंधावा को बिना किसी सूचना के, झूठे अभ्यावेदन पर जांच प्राप्त की गई थी।यह भी अनुरोध किया गया कि उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र पर अपीलार्थी की माँ के हस्ताक्षर जाली हस्ताक्षर थे क्योंकि अपीलार्थी की माँ को बीना मेहरा के रूप में हस्ताक्षरित दिखाया गया था, जबकि वह बीना कुमारी मेहरा के रूप में हस्ताक्षर करती थी जो पासपोर्ट, वसीयत और उनके पैन कार्ड में उनके हस्ताक्षर से स्पष्ट है। यह आगे तर्क दिया गया कि कथित वसीयत दिनांक 15.06.1981 वास्तविक वसीयत नहीं थी और उसकी मृत्यु के बाद उसकी माँ को मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मुकदमे की संपत्ति में उसकी कानूनी पात्रता से वंचित करने के लिए बनाई गई थी।प्रोबेट को निरस्त करने के लिए अपीलार्थी के आवेदन को प्रत्यर्थीगणओं द्वारा चुनौती दी गई थी।लर्नड सिंगल जज ने दिनांकित 24.08.2015 के आदेश के माध्यम से प्रोबेट को रद्द करने के आवेदन को खारिज कर दिया।विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के तहत अपीलार्थी किसी भी उद्धरण का हकदार नहीं है।अपीलार्थी की माँ, जिन्होंने संभवतः उक्त अनुदान पर आपत्ति जताई होगी, ने सहमति के लिए एक हलफनामा दायर किया था।विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे कहा कि इसके अलावा, आवेदन दायर करने में अत्यधिक और अकथनीय देरी होती है।अपीलार्थी की माँ ने अपने जीवनकाल के दौरान अनुदान पर कभी आपत्ति नहीं की।इन टिप्पणियों पर आवेदन खारिज

कर दिया गया था।7. अपीलार्थी द्वारा एकल न्यायाधीश दिनांक 24.08.2015 के निर्णय के विरुद्ध खंड पीठ के समक्ष अपील दायर की गई थी और जिसे वर्तमान अपील में आक्षेपित दिनांक 13.04.2017 के आदेश द्वारा खंड पीठ द्वारा भी खारिज कर दिया गया था।डिवीजन बेंच ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि निचली अदालत ने मामले पर अपने उचित परिप्रेक्ष्य में विचार किया है और रद्द करने की याचिका को खारिज करने में प्रयोग किया गया प्रासंगिक विवेकाधिकार विकृत नहीं लगता है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

8. हमने अपीलार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ लूथरा और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयंत भूषण को पेश होते हुए सुना है।

एच.

अधिवक्ता, प्रत्यर्थी Nos.1,2 और 3 की ओर से उपस्थित होते हुए।हमने प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जिष्णु साहा को भी सुना है। 9.श्री लूथरा ने तर्क दिया कि कानूनी उत्तराधिकारी सुरजन सिंह रंधावा की छोटी बेटी अपीलार्थी की मां को कोई प्रशस्ति पत्र जारी किए बिना आई. डी. 1 पर आवेदन दायर करने के एक सप्ताह के भीतर आई. डी. 2 पर जांच की अनुमति दी गई थी।बीना कुमारी द्वारा कथित रूप से हस्ताक्षरित किए गए प्रोबेट आवेदन के साथ संलग्न अनापत्ति प्रमाण पत्र एक जाली अनापत्ति प्रमाण पत्र था।अपीलार्थी की माँ बीना कुमारी बीना कुमारी मेहरा के रूप में हस्ताक्षर करती थीं।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अप्रैल, 1984 में बीना कुमारी द्वारा वाद संपत्ति के विभाजन के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था जिसमें वाद लिखित बयान श्रीमती कुमारी द्वारा दायर किया गया था। ज्ञान हंसपाल जहाँ प्रोबेट दिनांक 04.06.1982 का कोई संदर्भ नहीं था। मुक़दमा परिसर का दावा श्रीमती द्वारा निष्पादित दिनांक 25.03.1964 के उपहार विलेख के आधार पर किया गया था। श्रीमती के पक्ष में हरनाम कौर रंधावा। ज्ञान हंसपाल।यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि बीना कुमारी ने प्रोबेट कार्यवाही में सहमति दी होती तो विभाजन के लिए उनका मुकदमा दायर करने का कोई सवाल ही नहीं था।अपीलार्थी की माँ द्वारा

विभाजन के लिए मुकदमा दायर करने का तथ्य स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि न तो उसने अनापत्ति प्रमाण पत्र दायर किया है और न ही उसे ऐसी कार्यवाही के बारे में पता था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन जो श्रीमती की बेटी है। बीना कुमारी मेहरा को धारा 263 के तहत रद्द करने के आधार के तहत पूरी तरह से शामिल किया गया था।प्रोबेट का अनुदान प्राप्त करने की कार्यवाही धोखाधड़ी वाली कार्यवाही थी जिसे उच्च न्यायालय द्वारा दरकिनार कर दिया जाना चाहिए था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रोबेट देने के लिए कानूनी उत्तराधिकारियों को एक प्रशस्ति पत्र जारी करना आवश्यक है और वर्तमान मामले में कोई प्रशस्ति पत्र जारी नहीं किया गया है, इसलिए पूरी कार्यवाही को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए।10. श्री सिद्धार्थ लूथरा ने कलकत्ता में उच्च न्यायालय के नियमों के अध्याय XXXV (मूल पक्ष), 1914 (जिसे इसके बाद "उच्च न्यायालय के नियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) का भी उल्लेख किया है।श्री लूथरा प्रस्तुत करते हैं कि नियम प्रशस्ति पत्र जारी करने पर विचार करते हैं।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

11. प्रत्यर्थी Nos.1,2 और 3 की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयंत भूषण ने प्रस्तुत किया कि प्रोबेट देने के लिए प्रशस्ति पत्र जारी करना अनिवार्य नहीं है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 283 में 'मई' शब्द का उपयोग स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उद्धरण जारी करना या न करना जिला न्यायाधीश के विवेक में है।केवल उद्धरण जारी न करने से कोई अवैधता नहीं होती है।कलकत्ता (मूल पक्ष), 1914 में उच्च न्यायालय के नियमों के अध्याय 35 के नियम 9 का उल्लेख करते हुए, श्री जयंत भूषण ने प्रस्तुत किया कि प्रशासन के पत्रों के लिए प्रशस्ति पत्र जारी करने पर विचार किया जाता है जब तक कि ऐसा व्यक्ति न हो।

जी.

एच.

सहमति को दर्शाता है, जो नियम प्रोबेट के अनुदान के लिए भी प्रदान करते हैं।वह प्रस्तुत करता है कि श्रीमती द्वारा कोई आपत्ति नहीं है। बीना कुमारी मेहरा को भी कोई प्रशस्ति पत्र जारी करने का अवसर नहीं मिला और उपरोक्त प्रोबेट में कोई अवैधता नहीं पाई गई।

12. वह आगे प्रस्तुत करता है कि जांच की कार्यवाही मृतक के भाई बचित्तर सिंह रंधावा द्वारा शुरू की गई थी।उन्होंने आगे कहा कि अप्रैल, 1984 में दायर विभाजन के मुकदमे को गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया था और इस मामले को श्रीमती द्वारा आगे नहीं बढ़ाया गया था। बीना कुमारी मेहरा, यह स्पष्ट है कि वह इस मामले पर आगे कभी मुकदमा नहीं चलाना चाहती थीं।श्रीमती की मृत्यु के बाद। बीना कुमारी मेहरा अपीलार्थी के लिए 30 साल के अनुदान के बाद प्रोबेट को रद्द करने के लिए आवेदन दायर करने के लिए खुला नहीं है, जब दोनों श्रीमती. बीना कुमारी मेहरा और श्रीमती. ज्ञान हंसपाल की मृत्यु हो गई है।वह आगे प्रस्तुत करता है कि विभाजन के लिए वाद को खारिज करने के मद्देनजर वाद परिसर के कब्जे के लिए कोई भी दावा वर्जित है और वर्तमान मामले के तथ्यों में अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा। विभाजन के लिए माँ का मुकदमा गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया है, बेटी द्वारा मुकदमा स्पष्ट रूप से वर्जित है।

बी.

सी.

डी.

13. प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 4 मूल्य के लिए एक प्रामाणिक खरीदार है जिसने विक्रेताओं के पक्ष में दिए गए प्रोबेट के बल पर संपत्ति खरीदी।वह प्रस्तुत करता है कि प्रत्यर्थी संख्या 4 के अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता है और यह अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 1,2 और 3 के बीच लड़ाई के कारण प्रभावित नहीं हो सकता है।वह आगे प्रस्तुत करता है कि मामले के किसी भी दृष्टिकोण में प्रोबेट का निरसन प्रत्यर्थी संख्या 4 के किसी भी अधिकार को प्रभावित किए बिना संभावित रूप से काम करेगा।

ई.

14. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता ों ने भी कुछ निर्णयों का उल्लेख किया है और उन पर भरोसा किया है जिन्हें हम इसके बाद देखेंगे।

एफ.

15. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर सामग्री का अध्ययन किया है।

16. अपील में मुख्य मुद्दे पर विचार करने और जवाब देने की आवश्यकता है कि क्या अपीलार्थी द्वारा दायर प्रोबेट को रद्द करने के लिए आवेदन में पर्याप्त आधार बनाए गए थे और उच्च न्यायालय ने आवेदन को अस्वीकार करने के साथ-साथ अपील को खारिज करने में त्रुटि की थी।

जी.

17. पक्षों के संबंधों को लेकर कोई विवाद नहीं है।अपीलार्थी श्रीमती की बेटी है। बीना कुमारी मेहरा, जो मृतक सुरजन सिंह रंधावा की सबसे छोटी बेटी थीं, जिनकी वसीयत की उच्च न्यायालय द्वारा जांच की गई थी।प्रत्यर्थी Nos.1,2 और 3 कानूनी ए हैं

एच.

839

मंजू पुरी बनाम राजीव सिंह हंस्पाल [अशोक भूषण, जे.] ए.

मृतक सुरजन सिंह रंधावा की सबसे बड़ी बेटी की उत्तराधिकारी, श्रीमती. ज्ञान हंसपाल।

18. विद्वत एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय दोनों ने अपीलार्थी द्वारा निरसन के लिए दायर आवेदन को अस्वीकार करते हुए कहा था कि आवेदन दाखिल करने में अत्यधिक देरी हुई थी।वसीयत का प्रोबेट 04.06.1982 पर दिया गया था और प्रोबेट को रद्द करने के लिए आवेदन अपीलार्थी द्वारा हलफनामे के साथ दायर किया गया था जो 27.07.2011 दिनांकित है।हस्तांतरण विलेख से उसने दावा किया कि उसे पता था कि मामला नं। 1982 का पी. एल. ए. No.90 जहाँ उच्च न्यायालय ने 04.06.1982 की वसीयत का प्रोबेट दिया।आवेदन के पैराग्राफ 15 में प्रोबेट कार्यवाही के बारे में जानने के विवरण का उल्लेख किया गया है जो पुनः प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक हैंः

बी.

सी.

"15.उक्त तथ्यों के बारे में जानने के बाद आपके याचिकाकर्ता ने अपने वकील को उक्त अनुबंध को रद्द करने के लिए उपयुक्त कानूनी कार्यवाही करने का निर्देश दिया।हालाँकि, उन्हें सलाह दी गई कि कानूनी कार्यवाही शुरू करने से पहले ऐसी कार्यवाही का निरीक्षण करना आवश्यक था जिसमें यह पता लगाने के लिए कि क्या याचिकाकर्ता की माँ ने उक्त प्रोबेट देने के लिए सहमति दी थी और क्या उक्त मृतक की वसीयत वास्तविक थी।जैसा कि सलाह दी गई है कि आपका याचिकाकर्ता कोलकाता आए और 19.5.2011 पर 1982 के पी. एल. ए. No.90 के अभिलेखों का निरीक्षण किया।उक्त पी. एल. ए. के अभिलेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि यह 27.5.1982 पर दायर किया गया था और यह कि आपके याचिकाकर्ता की माँ का एक कथित अनापत्ति प्रमाण पत्र <आई. डी. 2] पर दर्ज किया गया था, जिसकी

पहचान दिलीप कुमार बसु द्वारा की गई थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे विद्वान मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में काम कर रहे थे, यह दिखाने के लिए दायर किया गया था कि जैसे कि आपके याचिकाकर्ता की माँ ने उक्त वसीयत की जांच के लिए कोई आपत्ति नहीं दी थी।आपके याचिकाकर्ता ने उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र का भी निरीक्षण किया, जिस पर आपके याचिकाकर्ता की मां ने कथित तौर पर "बीना मेहरा" के रूप में हस्ताक्षर किए थे।उक्त हस्ताक्षर आपके याचिकाकर्ता की माँ के नहीं हैं।आपके याचिकाकर्ता की माँ ने हमेशा "बीना कुमारी मेहरा" के रूप में हस्ताक्षर किए।जुलाई 1982 में जारी किए गए पैन कार्ड और आपकी माँ के पासपोर्ट की प्रतियाँ, दोनों पर उनके वास्तविक हस्ताक्षर हैं और सामूहिक रूप से अनुलग्नक "ई" चिह्नित हैं।5.5.2008 पर अपनी मृत्यु से पहले आपकी याचिकाकर्ता की माँ ने 30 जून 2005 को अपनी अंतिम वसीयत बनाई थी जो पंजीकृत थी।उक्त वसीयत पर उसके वास्तविक हस्ताक्षर भी हैं।उक्त वसीयत की एक प्रति यहाँ संलग्न की गई है और अनुलग्नक "ई" में शामिल की गई है।लिखावट

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

जिसके तहत उक्त शब्द "बीना मेहरा" लिखे गए हैं, वे आपके याचिकाकर्ता की मां के नहीं हैं।उक्त पी. एल. ए. के अभिलेखों से आगे यह प्रतीत होता है कि अप्रैल 1982 में उसी नोटरी द्वारा नोटरी किए गए उक्त हरनाम कौर रंधावा और ज्ञान हंसपाल की कथित कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई थी।आपके याचिकाकर्ता के वकील ने उक्त पी. एल. ए. में आवेदन की एक प्रमाणित प्रति प्राप्त की है, जिसकी एक प्रति यहां संलग्न है और अनुलग्नक "एफ" चिह्नित है।"19. आवेदन में अपीलार्थी की मां बीना कुमारी मेहरा द्वारा दायर 1984 के मुकदमे के विवरण का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें श्रीमती द्वारा लिखित बयान दायर किया गया था। ज्ञान हंसपाल।श्रीमती द्वारा विभाजन के लिए मुकदमा दायर करना। श्रीमती बीना कुमारी मेहरा ने न तो इनकार किया है और न ही लिखित बयान दाखिल किया है। ज्ञान हंसपाल को मना कर दिया जाता है।1984 के वाद No.61 की शिकायत की प्रति को अनुलग्नक 'पी-4' के रूप में रिकॉर्ड में लाया गया है।यह संकेत दिया जाता है कि अपीलार्थी की माँ ने दावा किया कि 12.04.1982 पर उसकी माँ की मृत्यु के बाद वह और उसकी बड़ी बहन, प्रतिवादी

संख्या 1 संपत्ति में प्रत्येक ½ हिस्से की सीमा तक सह-हिस्सेदार बन गए।प्रतिवादी संख्या 1, हंसपाल द्वारा दायर लिखित बयान में बीना मेहरा द्वारा प्रोबेट दिनांक 04.06.1982 का कोई संदर्भ या कोई आपत्ति नहीं दी गई थी, हालांकि पैराग्राफ 1 में Smt.Harnam कौर रंधावा द्वारा श्रीमती के पक्ष में दिए गए पंजीकृत उपहार का उल्लेख है। ज्ञान हंसपाल का निम्नलिखित प्रभाव हैः"1.अभियोग के अनुच्छेद 1 के आरोप सही नहीं हैं।श्रीमती हरनाम कौर रंधावा ने अपनी मृत्यु से बहुत पहले एक पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 25.03.1960 द्वारा घर और परिसर No.5/1C बेल्वेडियर रोड का उपहार दिया था।उसके बाद प्रतिवादी उक्त परिसर का एकमात्र और पूर्ण मालिक रहा है।प्रतिवादी के स्वामित्व के दावे के आधार पर 1964 मार्च से आज तक उक्त संपत्ति के कब्जे में होने के कारण, वादी का मां के उत्तराधिकारी के रूप में उत्तराधिकार का दावा कानून और तथ्य में मान्य नहीं है।"

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

20. लेकिन पूरे लिखित बयान में दिनांकित 04.06.1982 प्रोबेट के बारे में कोई उल्लेख नहीं था।उपरोक्त कार्यवाहियों में दलीलें स्पष्ट रूप से इंगित करती हैं कि न तो किसी प्रोबेट कार्यवाही की जानकारी थी और न ही प्रोबेट कार्यवाही का दावा भी श्रीमती द्वारा किया गया था। ज्ञान हंसपाल लिखित बयान में जो वर्ष 1984 में दायर किया गया था।श्रीमती द्वारा दायर किया गया मुकदमा। बीना कुमारी मेहरा को 26.03.1986 पर डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया और 19.08.2006 पर डिफ़ॉल्ट के लिए मुकदमे की बहाली के लिए एक आवेदन भी खारिज कर दिया गया।श्रीमती. बीना कुमारी मेहरा की मृत्यु 05.05.2008 पर हुई।जब अपीलार्थी द्वारा निरसन के लिए आवेदन में मामला निर्धारित किया गया था कि उसे प्रोबेट ए के बारे में पता चला

जी.

एच.

841

मंजू पुरी बनाम राजीव सिंह हंस्पाल [अशोक भूषण, जे.] ए.

केवल प्रत्यर्थी Nos.1,2 और 3 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 4 दिनांक 28.06.2010 के पक्ष में निष्पादित हस्तांतरण विलेख के माध्यम से कार्यवाही और उन्होंने 19.05.2011 पर 1982 के पी. एल. ए. No.90 के रिकॉर्ड का निरीक्षण किया और प्रोबेट कार्यवाही के बारे में पता चला

और अपनी मां, श्रीमती द्वारा कोई आपत्ति नहीं होने का आरोप लगाया। बीना कुमारी मेहरा। इन तथ्यों को स्वीकार किए बिना, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता था कि निरसन आवेदन दाखिल करने में अत्यधिक देरी हो रही है।न तो प्रत्यर्थी द्वारा अभिलेख पर कुछ भी लाया गया है जो यह इंगित करता है कि अपीलार्थी या उसकी माँ को किसी पूर्व तिथि पर प्रोबेट कार्यवाही की जानकारी थी और न ही उच्च न्यायालय ने कोई निष्कर्ष वापस किया है कि अपीलार्थी को प्रोबेट कार्यवाही की जानकारी थी और वह देरी से आवेदन दायर करने की दोषी है।कलकत्ता उच्च न्यायालय का ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं होने के कारण कि इससे पहले किसी भी समय अपीलार्थी को प्रोबेट कार्यवाही की जानकारी थी, इस टिप्पणी को कि आवेदन अत्यधिक देरी से दायर किया गया था और अस्वीकार किए जाने के योग्य था, अनुमोदित नहीं किया जा सकता है।

बी.

सी.

21. इस प्रकार, हमारा विचार है कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रोबेट को रद्द करने के लिए आवेदन दायर करने में अपीलार्थी पर कोई देरी नहीं की जा सकती है, जब 19.05.2011 पर पी. एल. ए. रिकॉर्ड का निरीक्षण करने के बाद उसने तुरंत जुलाई, 2011 में ही प्रोबेट को रद्द करने के लिए आवेदन दायर किया था।उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कि अत्यधिक देरी हुई है, टिकाऊ नहीं है।22. अब, हम इस निवेदन पर आते हैं कि क्या कानूनी उत्तराधिकारी को प्रशस्ति पत्र जारी करने पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के साथ-साथ उच्च न्यायालय के नियमों के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाता है। उत्तराधिकार अधिनियम का अध्याय III अनुदानों में परिवर्तन और उन्हें निरस्त करने से संबंधित है।धारा 263 न्यायसंगत कारण के लिए निरसन या रद्द करने का प्रावधान करती है जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

डी.

ई.

“263. न्यायसंगत कारण के लिए निरसन या रद्द करना।- का अनुदान

एफ.

न्यायसंगत कारण के लिए प्रोबेट या प्रशासन के पत्रों को रद्द या रद्द किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण।- .... दृष्टांत

जी.

(i)... (ii) अनुदान उन पक्षों को उद्धृत किए बिना दिया गया था जिन्हें उद्धृत किया जाना चाहिए था।

(iii) जिस वसीयत की प्रोबेट प्राप्त की गई थी, वह जाली थी या रद्द कर दी गई थी।

एच.

842

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 13 एस सी आर।

.....

.....

....."

23. उत्तराधिकार अधिनियम के अध्याय IV में "समस्याओं और प्रशासन के पत्रों की व्यवस्था और विद्रोह की प्रक्रिया" शीर्षक शामिल है।अधिनियम की धारा 268 में प्रावधान है कि प्रोबेट और प्रशासन के पत्र देने के संबंध में जिला न्यायाधीश के न्यायालय की कार्यवाही, जैसा कि इसके बाद अन्यथा प्रदान किया गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा विनियमित की जाएगी, जहां तक मामले की परिस्थितियों की अनुमति है।

बी.

24. धारा 276 प्रोबेट के लिए याचिका से संबंधित है।धारा 283 जिला न्यायाधीश की शक्तियों से संबंधित है।धारा 283 इस प्रकार हैः

"283. जिला न्यायाधीश की शक्तियाँ।-(1) सभी मामलों में जिला

सी.

न्यायाधीश या जिला प्रतिनिधि, यदि वह उचित समझता है, (क) शपथ लेने पर याचिकाकर्ता से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ कर सकता है;

(ख) वसीयत के उचित निष्पादन या याचिकाकर्ता के प्रशासन के पत्रों के अधिकार के बारे में और सबूत की आवश्यकता है, जैसा भी मामला हो;

डी.

(ग) मृतक की संपत्ति में कोई रुचि रखने का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों को प्रोबेट या प्रशासन के पत्र देने से पहले कार्यवाही देखने के लिए आने का आह्वान करते हुए उद्धरण जारी करें।

(2) प्रशस्ति पत्र न्यायालय के किसी विशिष्ट भाग में और जिले के कलेक्टर के कार्यालय में भी स्थापित किया जाएगा और अन्यथा इस तरह से प्रकाशित या ज्ञात किया जाएगा कि इसे

जारी करने वाला न्यायाधीश या जिला प्रतिनिधि निर्देश दे।(3) जहां संपत्ति का कोई हिस्सा याचिकाकर्ता द्वारा किसी अन्य राज्य में जिला न्यायाधीश की अधिकारिता के भीतर स्थित होने के लिए कहा गया है, तो उसे जारी करने वाला जिला न्यायाधीश प्रशस्ति पत्र की एक प्रति ऐसे अन्य जिला न्यायाधीश को भेजेगा, जो उसी तरह से प्रकाशित करेगा जैसे कि यह स्वयं द्वारा जारी किया गया प्रशस्ति पत्र था, और ऐसे प्रकाशन को जिला न्यायाधीश को प्रमाणित करेगा जिन्होंने प्रशस्ति पत्र जारी किया था।"

ई.

एफ.

25. हम वर्तमान मामले में की गई कार्यवाही पर वापस लौट सकते हैं।सुरजन सिंह रंधावा की वसीयत, जिसकी जांच की गई है, गैर-पंजीकृत वसीयत दिनांकित 15.06.1961 है।वसीयत की जांच के लिए निष्पादक द्वारा 27.05.1982 पर आवेदन दायर किया गया था और वसीयत की जांच 04.06.1982 पर की गई थी।पक्षकारों का यह मामला स्वीकार किया जाता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मृतक के किसी भी कानूनी उत्तराधिकारी को कोई प्रशस्ति पत्र जारी नहीं किया गया था।वर्तमान मामले में काउंटर-ए

जी.

एच.

843

मंजू पुरी बनाम राजीव सिंह हंस्पाल [अशोक भूषण, जे.] ए.

प्रत्यर्थी Nos.1,2 और 3 द्वारा हलफनामा दायर किया गया है जहाँ उन्होंने एक विशिष्ट मामला लिया है कि उद्धरण जारी करने की आवश्यकता नहीं थी।प्रोबेट कार्यवाही में श्रीमती के बाद से। बीना कुमारी मेहरा ने एक प्रोबेट देने के लिए सहमति व्यक्त की, जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 3 (वाई) में निम्नलिखित कहा गया हैः

"3(y) श्रीमती ने कहा। हरनाम कौर रंधावा और ज्ञान हंसपाल को वर्ष 1981 में वसीयत के बारे में पता चला।इसके तुरंत बाद, उक्त श्रीमती. हरनाम कौर रंधावा ने वसीयत की प्रोबेट प्राप्त करने के लिए कदम उठाए।चूंकि बीना कुमारी मेहरा ने प्रोबेट देने के लिए सहमति व्यक्त की थी, इसलिए उन पर कोई प्रशस्ति पत्र देने का कोई अवसर नहीं था।भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत, उद्धरण केवल वसीयतकर्ता के असहमत उत्तराधिकारियों को दिया जाता है।"

बी.

सी.

26. प्रत्यर्थी Nos.1,2 और 3 की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयंत भूषण ने प्रस्तुत किया है कि जिला न्यायाधीश के लिए प्रशस्ति पत्र जारी करना अनिवार्य नहीं है जहां मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति दायर की गई है।ऊपर निकाली गई धारा 283 जिला न्यायाधीश की शक्ति से संबंधित है।धारा 283 (1) में 'मई' शब्द का उपयोग किया गया है जो प्रत्यर्थीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो जिला न्यायाधीश को उद्धरण जारी करने या न करने का विवेकाधिकार देता है।धारा 283 के तहत जिला न्यायाधीश को दी गई शक्ति प्रोबेट के लिए याचिका जो धारा 276 में प्रदान की गई है और धारा 278 में प्रदान किए गए प्रशासन के पत्रों के लिए याचिका दोनों को नियंत्रित करती है।कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नियम बनाए हैं, अर्थात्, कलकत्ता में उच्च न्यायालय के नियम (मूल पक्ष), 1914, जिसका अध्याय XXXV नियम और अंतरराज्यीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है।नियमों के नियम 5 ए, 9 और 12 जो प्रासंगिक हैं, वे इस प्रकार हैंः

डी.

ई.

" 5 ए. वसीयत के साथ प्रोबेट या प्रशासन के पत्रों के लिए सभी आवेदनों में याचिका में परिवार के सदस्यों या अन्य रिश्तेदारों के नाम बताए जाएंगे, जिन पर संपत्ति उनके वर्तमान निवास स्थान के साथ हस्तांतरित हुई होगी।

एफ.

9. सही पक्षों को उद्धरण।- पत्रों के लिए आवेदन पर

प्रशासन का, जब तक कि अन्यथा आदेश नहीं दिया जाता है, आवेदक से पहले या उसके बराबर अनुदान लेने का अधिकार रखने वाले सभी व्यक्तियों को एक प्रशस्ति पत्र जारी किया जाएगा, जब तक कि ऐसे व्यक्तियों ने आवेदन के लिए अपनी सहमति नहीं दी है।

जी.

12. एक निश्चित दिन पर कारण दिखाने के लिए उद्धरण में निर्देश।-

सभी उद्धरण, जब तक कि अन्यथा आदेश नहीं दिया जाता है, उद्धृत व्यक्तियों को सेवा के दिन से चौथे दिन कारण दिखाने का निर्देश देंगे।

एच.

जहाँ उद्धृत किए जाने वाले पक्ष कलकत्ता शहर के भीतर रहते हैं, या ऐसे निश्चित दिन पर जब न्यायाधीश निर्देश देगा कि वे कलकत्ता के बाहर कहाँ रहते हैं; और, जहां उन्हें प्रक्रिया की सेवा के लिए प्रदान किए गए तरीके से सेवा नहीं दी जा सकती है, वहां प्रपत्र संख्या 5 में एक सूचना को ऐसे स्थानीय समाचार पत्रों में एक विज्ञापन के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है जो निर्देशित किए जा सकते हैं।"

बी.

27. नियम 5 ए में प्रावधान है कि वसीयत के साथ प्रोबेट या प्रशासन के पत्रों के लिए सभी आवेदनों में याचिका में परिवार के सदस्यों या अन्य रिश्तेदारों के नाम बताए जाएंगे, जिन पर संपत्ति को उनके वर्तमान निवास स्थान के साथ हस्तांतरित किया गया होगा।नियम 9 सही पक्षों को उद्धरण से संबंधित है जिसके लिए उद्धरण जारी करने या प्रशासन के पत्रों के आवेदन की आवश्यकता होती है जब तक कि ऐसे व्यक्तियों ने आवेदन के लिए अपनी सहमति का संकेत नहीं दिया हो।नियम 9 "प्रशासन के पत्रों के लिए एक आवेदन पर" शब्दों के साथ शुरू होता है।यदि नियम बनाने वाले प्राधिकारी नियम 9 को प्रोबेट पर लागू करना चाहते थे, तो उन्हें प्रोबेट या प्रशासन के पत्र दोनों वाक्यांशों का उपयोग करना चाहिए था। जहां भी नियम बनाने वाले प्राधिकरण का इरादा प्रोबेट या प्रशासन के पत्रों दोनों के लिए आवेदनों को संदर्भित करने का है, उसी का उपयोग नियम 4, नियम 4 ए, नियम 4 बी, नियम 5 ए, नियम 6 की तरह किया गया है, जहां "वसीयत का प्रोबेट" और "प्रशासन के पत्र" दोनों अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया है, जबकि नियम 7 में प्रशासन के अभिव्यक्ति पत्रों का उपयोग किया गया है।नियम 9 प्रशासन के लिए केवल अभिव्यक्ति अक्षरों का उपयोग करता है।नियम 12 एक निश्चित दिन पर कारण दिखाने के लिए उद्धरण में निर्देश से संबंधित है।नियम 12 प्रोबेट या प्रशासन के पत्रों को संदर्भित नहीं करता है और इस प्रकार, दोनों अभिव्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है।प्रशासन और प्रोबेट दोनों के पत्रों के संबंध में नियम 12 की प्रयोज्यता जो फॉर्म V से स्पष्ट है जो अभिव्यक्ति का उपयोग करता है:"प्रोबेट _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ के लिए याचिका

सी.

डी.

ई.

एफ.

प्रशासन के पत्र "

28. प्रत्यर्थीगणओं के लिए विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि नियम 9 जो प्रदान करता है कि जहां व्यक्तियों ने अपनी सहमति का संकेत दिया है, प्रोबेट के मामले में भी कोई उद्धरण जारी करने की आवश्यकता नहीं है।उपरोक्त तर्क की स्वीकृति नियम 9 में "प्रोबेट"

शब्द को जोड़ने की अनुमति होगी जबकि नियम 9 केवल "प्रशासन के पत्र" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है।

जी.

29. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पहले ही यह विचार लिया है कि उच्च न्यायालय के नियमों का नियम 9, अध्याय XXXV केवल प्रशासन के पत्रों के अनुदान के मामले में लागू होता है और अनुदान पर लागू नहीं होता है।

प्रोबेट।ज्योत्सना में राजगढ़िया बनाम दीपक कुमार हिम्मतसिंका, ए

एच.

845

मंजू पुरी बनाम राजीव सिंह हंस्पाल [अशोक भूषण, जे.] ए.

(2002) आई. एल. आर. 2 कैल 402, उच्च न्यायालय के पास एक ऐसे मामले पर विचार करने का अवसर था जिसमें प्रोबेट को रद्द करने के लिए कहा गया था।उपरोक्त मामले में भी प्रोबेट के अनुदान के लिए प्रतिसंहरण की मांग करने वाले व्यक्ति पर इस तरह के अनुदान के लिए सहमति देने का दावा किया गया था और यह तर्क दिया गया था कि चूंकि पक्ष ने प्रोबेट के अनुदान के लिए सहमति दी है, इसलिए वह कोई प्रशस्ति पत्र जारी करने का हकदार नहीं है।निर्णय के पैराग्राफ 1 और 2 में मामले के तथ्यों को नोट किया गया है जो निम्नलिखित प्रभाव वाले हैंः

बी.

"1. यह इस न्यायालय द्वारा 10 फरवरी, 1987 को 1987 की सं. 17 में श्रीमती के माल में दिए गए प्रोबेट को रद्द करने के लिए एक आवेदन है। उषा देवी हिम्मतसिंका और 21 जनवरी, 1987 के प्रोबेट देने वाले आदेश को याद करते हुए।बिना किसी प्रतियोगिता के प्रोबेट दिया गया था।याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 2, अर्थात।, अनीता फतेहपुरिया दो बहनें हैं।प्रत्यर्थी संख्या 2 याचिकाकर्ता का समर्थन कर रहा है और प्रोबेट के अनुदान को रद्द करने के लिए भी कह रहा है।

सी.

2. याचिकाकर्ता का संक्षिप्त मामला यह है कि प्रोबेट धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था और इस तरह के आवेदन को दाखिल करने के लिए कोई प्रशस्ति पत्र और/या नोटिस दिए बिना। प्रोबेट के अनुदान के समय दर्ज की गई सहमति धोखाधड़ी थी और किसी भी वकील को याचिकाकर्ता की ओर से या प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से सहमति देने के लिए नहीं लगाया गया था।मई 1999 तक उन्हें प्रोबेट देने के विवादित आदेश के पारित होने की कोई जानकारी नहीं थी, जब एम/द्वारा एक पत्र भेजा गया था।एस. सिन्हा एंड कंपनी उस आवेदन

की प्रतियों के साथ जिस पर 17 सितंबर, 1981 को उनकी माँ की अंतिम वसीयत और वसीयतनामा को प्रोबेट दिया गया था।उसने यह भी कहा है कि उसने कभी किसी से सगाई नहीं की।श्री पुलक लाहिड़ी या किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में न तो कोई वकील और न ही कोई वकालतनामा निष्पादित किया।कथित रूप से पुलक लाहिड़ी के पक्ष में निष्पादित उक्त वकालतनामा जाली है।इस प्रकार पुलक लाहिड़ी के पास याचिकाकर्ता की ओर से पेश होने या प्रोबेट देने के लिए सहमति देने का कोई अधिकार नहीं था।"

डी.

ई.

एफ.

30. प्रशस्ति पत्र की सेवा पर उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि नियम 9 को देखते हुए प्रशस्ति पत्र की सेवा आवश्यक नहीं थी जिसे उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में खारिज कर दिया थाः"36.....इसके अलावा यह देखा गया है कि अनुदान भी दोषपूर्ण है क्योंकि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 283 (1) सी और (2) के तहत आवेदक पर कोई विशेष या सामान्य उद्धरण नहीं दिया गया था।श्री ए. के. मित्रा द्वारा यह तर्क दिया गया है कि चूंकि सहमति आवेदक द्वारा एफ के तहत इंगित की गई थी।9 के अध्याय XXXV

जी.

एच.

मूल पक्ष नियम, उद्धरण की सेवा आवश्यक नहीं थी।मैं इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हूं, क्योंकि उपरोक्त नियम प्रशासन के पत्रों के अनुदान के मामले में लागू होता है, प्रोबेट के मामले में नहीं।"

31. धारा 283 के एक सादे पाठ से यह स्पष्ट होता है कि 'मई' शब्द के उपयोग से जिला न्यायाधीश को मृतक की संपत्ति में कोई रुचि रखने का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों को उद्धरण जारी करने का विवेकाधिकार दिया गया है।हालाँकि, यह सच है कि उद्धरण जारी करने या न करने का विवेकाधिकार निहित है, लेकिन इस तरह के विवेकाधिकार का उपयोग उचित सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।कामोना में कलकत्ता उच्च न्यायालय

बी.

दाससी बनाम हुर्रो लाल शाह, (1882) आई. एल. आर. 8 कैल 570, का अवसर था।

उत्तराधिकार अधिनियम, 1865 की धारा 250 के समान सामग्री प्रावधान पर विचार करना, जहां प्रशस्ति पत्र जारी करने या न करने का विवेकाधिकार जिला न्यायाधीश में निहित था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उक्त मामले में कहा था कि जब वसीयत प्रस्तावित की जाती है जो संपत्ति के हस्तांतरण को बदलती है, तो एक विशेष प्रशस्ति पत्र का निर्देश दिया जाना चाहिए।इसके अलावा जिला न्यायाधीश के विवेक का उचित सावधानी के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए।कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी की गई थीः

सी.

डी.

"……उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 250 जिला न्यायाधीश को पूर्ण विवेक के साथ निहित करती है, जिसका उपयोग उचित देखभाल के साथ किया जाना चाहिएःऔर जब कोई वसीयत प्रस्तावित की जाती है जो संपत्ति के हस्तांतरण को बदल देती है, तो उस व्यक्ति या व्यक्तियों पर एक विशेष उद्धरण देने का निर्देश दिया जाना चाहिए जो वसीयत से तुरंत प्रभावित हैं या हैं।……"

ई.

32.श्यामा में एक अन्य फैसले में कलकत्ता उच्च न्यायालय

चरण बैश्य बनाम प्रफुल्ल सुंदरी गुप्ता, ए. आई. आर. 1916 कैल 623, में

एक मामला जहां परिवीक्षाधीन और प्रशासन अधिनियम, 1881 के प्रावधान विचार के लिए आए, यह अभिनिर्धारित किया कि जब एक वसीयत प्रस्तावित की जाती है जो संपत्ति के हस्तांतरण को बदल देती है, तो जिला न्यायाधीश को विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए विशेष उद्धरण का निर्देश देना चाहिए।फैसले में निम्नलिखित कहा गया थाः

एफ.

"……जैसा कि निस्तारिनी बनाम ब्रह्मोमी, (1891) 18 कैल के मामले में देखा गया है। 45, जब कोई वसीयत प्रस्तावित की जाती है जो संपत्ति के हस्तांतरण को बदल देती है, तो जिला न्यायाधीश को, उद्धरण जारी करने के तरीके के बारे में प्रोबेट अधिनियम की धारा 69 द्वारा निहित विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए, उन व्यक्तियों को विशेष उद्धरण का निर्देश देना चाहिए जिनके अधिकार वसीयत से तुरंत प्रभावित होते हैं।……"33. वर्तमान मामले में हालांकि इस कानूनी प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि धारा 283 के तहत ए जारी करने का विवेकाधिकार निहित है।

जी.

एच.

उद्धरण या नहीं, लेकिन इस तरह के विवेकाधिकार का प्रत्येक मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उचित सावधानी के साथ न्यायिक रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए।

34. हमारे सामने जिस मामले में वसीयत दिनांकित थी 15.06.1961, प्रोबेट आवेदन 27.05.1982 पर दायर किया गया था, जो लगभग 20 साल बाद है।एक वसीयत की जांच के लिए आवेदन, जिसके 20 साल पहले निष्पादित होने का दावा किया जाता है, एकल न्यायाधीश को मामले को आगे बढ़ाने में सावधानी बरतनी चाहिए थी।हम देखते हैं कि वसीयत की जांच के लिए आवेदन के साथ, जिसे अनुलग्नक पी-2 के रूप में रिकॉर्ड में लाया गया है, प्रोबेट के प्रस्तावक ने एक सहमति प्रमाण पत्र के साथ आवेदन को सत्यापित किया है जिसे श्रीमती द्वारा संलग्न किया गया था। सुरजन सिंह रंधावा की पत्नी हरनाम कौर रंधावा, श्रीमती. डॉ. हर्षवर्धन हंसपाल की पत्नी ज्ञान हंसपाल, सुरजन सिंह रंधावा की बेटी और श्रीमती की कोई आपत्ति नहीं। वी. के. मेहरा की पत्नी बीना मेहरा, सुरजन सिंह रंधावा की एक और बेटी।दोनों श्रीमती। हरनाम कौर और श्रीमती. ज्ञान हंसपाल वसीयत के लाभार्थी थे, वसीयत पर उनकी अनापत्ति का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।श्रीमती द्वारा दी गई अनापत्ति। बीना मेहरा भौतिक थीं क्योंकि मृतक की दूसरी बेटी होने के नाते बीना मेहरा को सूट संपत्ति से बेदखल किया जा रहा था।श्रीमती द्वारा दायर अनापत्ति की फोटोकॉपी। बीना मेहरा को जवाबी-हलफनामे के साथ रिकॉर्ड में लाया गया है, जिसके अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों आपत्तियों को एक ही नोटरी, एक अधिवक्ता, श्री दिलीप कुमार बसु द्वारा नोटरी नहीं किया गया था।यह भी दावा नहीं किया जाता है कि श्री डी. के. बसु, जिन्होंने बीना मेहरा की पहचान की थी, उन्हें बीना मेहरा ने किसी भी वकालतनामा को निष्पादित करके अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया था।

बी.

सी.

डी.

ई.

35. श्रीमती द्वारा विभाजन के लिए मुकदमा दायर करने का तथ्य। वर्ष 1984 में बीना कुमारी मेहरा, जहाँ न तो सुरजन सिंह रंधावा की वसीयत का कोई संदर्भ है और न ही प्रोबेट कार्यवाही का कोई संदर्भ है और आगे श्रीमती द्वारा उक्त मुकदमे में दायर लिखित बयान में। कुमारी मेहरा की बड़ी बहन ज्ञान हंसपाल ने सुरजन सिंह रंधावा की वसीयत या उनके अधिकार के आधार पर प्रोबेट कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं किया है और इसके विपरीत अधिकारों का दावा केवल श्रीमती द्वारा निष्पादित उपहार दिनांक 1 के पंजीकृत विलेख के

आधार पर किया गया था। श्रीमती के पक्ष में हरनाम कौर रंधावा। ज्ञान हंसपाल, जिसने श्रीमती द्वारा दी गई कथित सहमति पर संदेह व्यक्त किया। प्रोबेट कार्यवाही में बीना कुमारी मेहरा।यदि कुमारी मेहरा ने वर्ष 1982 में प्रोबेट कार्यवाही में सहमति दी होती, तो यह मुकदमे में या श्रीमती द्वारा दायर लिखित बयान में परिलक्षित होना चाहिए था। ज्ञान हंसपाल। 1984 में विभाजन का दावा करते हुए मुकदमा दायर करने में कुमारी मेहरा का आचरण और उक्त कार्यवाही में प्रोबेट का कोई संदर्भ स्पष्ट रूप से इंगित नहीं करता है कि कुमारी मेहरा को विभाजन के बारे में पता भी नहीं था।

एफ.

जी.

एच.

848

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 13 एस सी आर।

जब मुकदमा दायर किया गया था तो प्रोबेट कार्यवाही।श्रीमती द्वारा दायर लिखित बयान में। ज्ञान हंसपाल, जो वसीयत के साथ-साथ प्रोबेट कार्यवाही के लाभार्थी थे, जिसमें प्रोबेट कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं था, जिससे हमें आश्चर्य होता है कि लिखित बयान में प्रोबेट कार्यवाही का उल्लेख क्यों नहीं किया गया था।और यदि श्रीमती। बीना कुमारी मेहरा ने लिखित बयान में हस्ताक्षर किए हैं कि उन्हें प्रोबेट कार्यवाही का सामना क्यों नहीं करना पड़ा।प्रोबेट कार्यवाही का कोई उल्लेख स्पष्ट रूप से इंगित नहीं करता है कि न तो श्रीमती। बीना कुमारी मेहरा को प्रोबेट कार्यवाही के बारे में पता था और न ही उन्हें ऐसी कार्यवाही का सामना करना पड़ा था।उक्त कार्यवाहियों में, जब किसी वसीयत के निष्पादन के 20 वर्षों के बाद उसकी जांच करने की मांग की जाती है, तो उच्च न्यायालय को जांच कार्यवाहियों के साथ अधिक सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए था।द कलकत्ता

बी.

सी.

हरिमती देवी में उच्च न्यायालय और एक अन्य बनाम अनंत नाथ रॉय

चौधरी, ए. आई. आर. 1939 कैल 535 ने लतीफुर रहमान, जे. के सहमति वाले फैसले में कहा कि जहां 20 साल से अधिक के अंतराल के बाद एक अपंजीकृत वसीयत प्रस्तावित करने की मांग की जाती है, तो यह आवश्यक है कि सभी प्रकार के संदेह और संदेह को दूर किया जाए।

डी.

36. हमारा विचार है कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने श्रीमती को कोई प्रशस्ति पत्र जारी नहीं करने में गलती की। बीना मेहरा ने प्रोबेट कार्यवाही में और अनापत्ति प्रमाणपत्रों की वास्तविकता के किसी भी सत्यापन के बिना यंत्रवत रूप से प्रोबेट प्रदान किया जो अस्थिर था।यदि यह स्वीकार किया जाता है कि प्रोबेट कार्यवाही में जिन व्यक्तियों को केवल अनापत्ति प्रमाण पत्र पर वसीयत में विरासत से वंचित किया गया है, उन्हें प्रोबेट अदालत द्वारा उपस्थित होने और अपनी कोई आपत्ति नहीं प्रमाणित करने या कोई अभिवचन दायर करने के लिए बुलाए बिना असंतोषजनक परिणाम मिलेगा और उन व्यक्तियों के लिए पूर्वाग्रह पैदा कर सकता है जो कार्यवाही से अवगत नहीं थे और जिनके बारे में अभी तक कोई आपत्ति प्रस्तुत करने का दावा नहीं किया गया है।इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भले ही विद्वान एकल न्यायाधीश को उद्धरण जारी करने या न करने का विवेकाधिकार था, लेकिन वर्तमान मामले के तथ्यों में उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 283 के तहत प्रदत्त विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए एक उद्धरण जारी किया जाना चाहिए था और वर्तमान मामले के तथ्यों में ऐसा उद्धरण जारी किए बिना दिए गए प्रोबेट को रद्द किया जाना चाहिए और एकल न्यायाधीश और खंड पीठ ने अपीलार्थी द्वारा दायर निरसन के लिए आवेदन को अस्वीकार करने में त्रुटि की।

ई.

एफ.

जी.

37. प्रत्यर्थी संख्या 4, जो प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 से संपत्ति का खरीदार है, की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रत्यर्थी संख्या 4 के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए क्योंकि वह मूल्य के साथ एक वास्तविक खरीदार है।हालाँकि, प्रत्यर्थी संख्या 4 को ए में से एक के रूप में शामिल किया गया था

एच.

पक्षकार, हमारा विचार है कि इस स्तर पर प्रत्यर्थी संख्या 4 के लिए विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुत करने के लिए विज्ञापन देना आवश्यक नहीं है।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि हमारे निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी द्वारा दायर निरसन आवेदन को अनुमति दी जानी चाहिए, 1982 के पी. एल. ए. आई. डी. 1 में प्रोबेट देने वाले दिनांकित आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए और प्रोबेट कार्यवाही विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष फिर से शुरू हो जाएगी और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस बात पर विचार किया

जाना बाकी है कि 1982 के पी. एल. ए. आई. डी. 1 में कार्यवाही में कौन से आदेश पारित किए जाने हैं और प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा उठाए जाने वाले सभी तर्कों को उपरोक्त कार्यवाही में संशोधित किया जाना है।

बी.

38. प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा उठाए गए निवेदन पर इन कार्यवाहियों में विचार करने की आवश्यकता नहीं है जो अपीलार्थी द्वारा केवल प्रोबेट को निरस्त करने के लिए शुरू की गई थीं।प्रत्यर्थी Nos.1,2 और 3 के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी ने पहले ही अलीपुर में प्रथम सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) के न्यायालय में शीर्षक मुकदमा No.59/2013 होने का मुकदमा दायर कर दिया था, जिसमें एक घोषणा का दावा किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 4 के पक्ष में निष्पादित और पंजीकृत दिनांकित 28.06.2010 के हस्तांतरण का अनुबंध अमान्य, अवैध और अमान्य है।

सी.

डी.

39. श्री जयंत भूषण प्रस्तुत करते हैं कि परिवीक्षा कार्यवाही के साथ-साथ माता द्वारा गैर-अभियोजन के लिए दायर विभाजन के मुकदमे को खारिज करने के संबंध में अपीलार्थी पर प्रतिकूल परिणामों को देखते हुए, यह न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित कार्यवाही/आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णयों में केवल प्रोबेट को निरस्त करने के लिए अपीलार्थी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर विचार किया है, हमें उक्त कार्यवाही पर केवल तब तक विचार करने की आवश्यकता है जब तक कि अपीलार्थी द्वारा दिनांकित प्रोबेट को रद्द करने के लिए दायर आवेदन से संबंधित है। हम इस अपील की अनुमति देते हैं, विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित आदेशों को दरकिनार करते हुए, प्रोबेट को रद्द करने के लिए आवेदन की अनुमति दी जाती है, प्रोबेट दिनांक 04.06.1982 को रद्द कर दिया जाता है। 1982 के पी. एल. ए. No.90 आवेदन को उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष पुनर्जीवित किया गया है जिस पर कानून के अनुसार विचार किया जा सकता है और निर्णय लिया जा सकता है।40. मामला पुराना होने के कारण, हम उच्च न्यायालय से कार्यवाही का शीघ्र निपटान करने का अनुरोध करते हैं।दल अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

ई.

एफ.

जी.

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

एच.